(२५८)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

विविध 4177-III-14

राजेन्द्र कुमार शर्मा तनय रामनिरंजन शर्मा उम्र- 67 साल, पेशा - कृषि,
नि. ग्राम धोबहट तह. अमरपाटन जिला सतना म.प्र., --- आवेदक

बनाम

लक्ष्मण साकेत तनय श्री मुरारी साकेत निवासी ग्राम धोबहट तह. अमरपाटन
जिला सतना म.प्र., --- अनावेदक

10/12/14

15-12-14

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू. रा. संहिता
बावत प्र.क्र.- 574/ अपील /13-14 न्यायालय
श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा
लक्ष्मण साकेत बनाम राजेन्द्र कुमार शर्मा वगैरह
को स्थानांतरित किये जाने

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है -

1- यह कि आवेदक राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम धोबहट तह. अमरपाटन जिला सतना म.प्र. के विरुद्ध अपील रेस्पा. द्वारा की गयी थी, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 10-12-14 है।

2- यह कि आ.नं. - 933/2 रकबा 0.015 हे. स्थित ग्राम धोबहट तह. अमरपाटन जिला सतना म.प्र. जिसका स्वत्व स्वामित्व कब्जा केवल आवेदक का मौके से है, तथा उक्त आराजी आवेदक की पुस्तैनी आराजी है। जिसमें रेस्पा. के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महो. संभाग रीवा के न्यायालय से बार-बार पेशियों में स्थगन आदेश होने के कारण आवेदक के कब्जा में व्यवधान उत्पन्न कर विवाद की स्थिति निर्मित कर दी गयी है, जिसमें किसी भी दिन गंभीर घटना घटित हो सकती है। द्वितीय ~~अपील~~ अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सही ढंग से मूल्यांकन न करते हुये तथा आवेदक का पक्ष सुनते हुये लगातार स्थगन आदेश दिया जा रहा है।

~~3- यह कि द्वितीय अपील~~

राजेन्द्र कुमार शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 विविध.4177–III/14 जिला–सतना

रवेन्द्र कुमार शर्मा/लक्ष्मण साकेत

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	